

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 21/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.01.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 17.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-जीयनपुर:-चोरी करने वाली 03 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास:-

दिनांक 16.01.2025 को समय करीब 17.15 बजे वादिनी कैसरी बानो पत्नी शेरू अहमद नि0ग्राम जमीन भीटी थाना गगहा जनपद गोरखपुर मय अल्लाफ उर्फ बबलू पुत्र जमालुद्दीन निवासी सियां कस्बा थाना जहानागंज आजमगढ़, उसका भतीजा आयान व ई-रिक्शा चालक शनि कुमार पुत्र नन्दलाल नि0खौरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा चोरी करने वाली 03 अभियुक्ता 1. खुशबू पत्नी पंकज निवासी गडेरी पट्टी (चुनहवा) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2.मुत्तू उर्फ मुत्तुल पत्नी गौतम नि0गडेरी पट्टी (चुनहवा) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3. रिंकल पत्नी शुकुल नि0ग्राम परशुरामपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को पकडकर थाने पर लाया गया और चोरी के संबंध में तहरीर दिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 18/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS बनाम बनाम अभियुक्ता उपरोक्त आदि 03 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के कब्जे से चोरी का रूपया 2000/- व एक झाला का डिब्बा व एक पर्स व घटना में प्रयुक्त एक अदद सूजा, तीन अदद ब्लेड बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. खुशबू पत्नी पंकज नि0गडेरी पट्टी (चुनहवा) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष
2. मुत्तू उर्फ मुत्तुल पत्नी गौतम नि0गडेरी पट्टी (चुनहवा) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष
3. रिंकल पत्नी शुकुल नि0ग्राम परशुरामपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

चोरी का बरामद रूपया 2000/- व एक झाला का डिब्बा व एक पर्स व घटना में प्रयुक्त एक अदद सुजा तीन अदद ब्लेड व एक अदद किट कैट चाकलेट

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 मु0अ0सं018/2025धारा 303(2)/317(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़



02.थाना:कोतवाली:- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 16.01.2025 को उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त अरबिन्द यादव पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष को समय करीब 20.10 बजे ग्राम बढोपुर से 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 22/2025 धारा 3/ 25 ए Act बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण:-

1. अरबिन्द यादव पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

01. 1 अदद तमन्चा 12 बोर

02. 1 जिन्दा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 22/2025 धारा 3/ 25 ए Act थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 22/2025 धारा 3/ 25 ए Act थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 352/23 धारा 3 /25 शस्त्र अधि. थाना रानी की सराय आजमगढ़



03.थाना-सिधारी:- चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी के एक अदद बैटरी, चोरी का सामान बेचने से प्राप्त बचे हुए 390 रूपये नगद, अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

➡ दिनांक 27.12.2024 को वादी संदीप शिल्पकार पुत्र रामचेत निवासी राजे सुल्तानपुर थाना राजे सुल्तानपुर उम्र करीब 30 वर्ष द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की गाड़ी का शीशा तोड़कर लाक तोड़ देना व बैटरी निकाल कर चोरी लिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0495/2024 धारा 303(2), 324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 15.01.2025 को वादी कौसर अहमद खां पुत्र मरहूम इश्तेयाक खां सा0 पठान टोली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त सद्दाम खान पुत्र शमसुद्दीन खान सा0 पठान टोली थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा वादी का आटो पियाजो वाहन संख्या UP50T8481 की बैटरी चोरी कर लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 17/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 17.01.2025 को प्रशिक्षणाधीन उपनिरीक्षक प्रमोद मद्देशिया मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सद्दाम पुत्र समसुद्दीन निवासी पठान टोली कस्बा सिधारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को डूंगडूंगवां ओवरब्रिज के नीचे से समय करीब 02.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी में अभियुक्त के पास से मु0अ0सं0 495/24 धारा 303(2)/324 बीएनएस से सम्बन्धित चोरी किया हुआ बैटरी बेचने से प्राप्त रूपयों में से बचा 390 रूपया नगद, मु0अ0सं0 17/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अदद बैटरी तथा 01 अदद तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 18/25 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0- 82/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं0- 114/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
- 3.मु0अ0सं0- 418/23 धारा 380/457/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 4.मु0अ0सं0- 355/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 0495/2024 धारा 303(2), 324(4) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 17/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 18/25 धारा -3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. सद्दाम पुत्र समसुद्दीन निवासी पठान टोली कस्बा सिधारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी:-

- 01.मु0अ0सं0 495/24 धारा 303(2)/324 बीएनएस से सम्बन्धित चोरी किया हुआ बैटरी बेचने से प्राप्त रूपयों में से बचा 390 रूपया नगद,
- 02.मु0अ0सं0 17/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक्वागार्ड व पावर अनलिमिटेड की 01 अदद बैटरी
- 03.01 अदद तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर



04.थाना-अहरौला:- धोखाधडी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का पूर्व का विवरण:-

दिनांक 15.03.2024 को वादी ओमप्रकाश पुत्र राजाराम सिंह निवासी- नियामादुल्लापुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1. रामनयनराम पुत्र बसन्ता सा0 शिवपुर (मल्हापुरवा) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ 2.लालजी सिंह पुत्र श्रीराम सिंह सा0 आदेदीह जिला मऊ 3.अमित सिंह पुत्र संजय सिंह ग्राम गैरवा बड़का पूरा जिला जौनपुर द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर वादी से तीन लाख अस्सी हजार रूपया (3,80,000 रू0)- लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 111/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 03 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 16.01.2025 को उ0नि0 विजयी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रामनयनराम पुत्र बसन्ता सा0 शिवपुर (मल्हापुरवा) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष को रोडवेज तिराहा आजमगढ़ से समय करीब 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 111/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

01. रामनयन राम पुत्र बसन्ता नि0 शिवपुर(मल्हापुरवा) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष।



05.थाना-निजामाबाद:- किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:-

दिनांक 19.12.2024 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी एक अनुसूचित जाति की महिला है जिसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त शालू चौहान पुत्र योगेन्द्र चौहान निवासी मिठनपुर हादी अली थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 584/24 धारा 137(2),87 BNS व 3(2)5 SC/ST Act बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1)BNS व 3/4(2) POCSO ACT की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 17.01.2025 को उ0नि0 कमला प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शालू चौहान पुत्र योगेन्द्र चौहान निवासी मिठनपुर हादी अली थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष को नन्दनगर तहसील के पास से समय करीब 9.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

